राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1640/2014/नागौर.

मैसर्स रिद्धि सिद्धि इन्सुलेटर्स प्रा0 लिमिटेड,
रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, आई.आई.डी. सेंटर, नागौर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/06/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 115/13–14/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत–प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.05.2013 में आरोपित कर रूपये 1,18,823/–, शास्ति रूपये 2,37,646/– व ब्याज रूपये 43,965/– को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 की अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न प्रकार के इन्सूलेटर्स, पिन व सम्बन्धित सामान की सप्लाई हेतु एफ.ओ.आर. क्रेता के गोदाम/वर्क साईट पर देना तय करते हुए एफ.ओ.आर. प्राईस तय की गई थी। इस मूल्य में माल जावक भाड़ा राशि रूपये 32,11,866/–, माल जावक भाड़े पर सर्विस टैक्स रूपये 37,557/– व बीमा खर्चे रूपये 27,029/– कुल राशि रूपये 23,76,452/– पर वैट नहीं चुकाये जाने के कारण अधिनियम कि धारा 26 के तहत 5 प्रतिशत से वैट कर रूपये 1,18,823/– धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति रूपये 2,37,646/– व धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज 43,965/– आरोपित किया गया।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये अधिनियम की धारा 23/24 के तहत नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखों को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। निरीक्षण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के निरीक्षण के दौरान पाया कि विक्रय बिलों में प्रदर्शित किये गये भाड़ा राशि एवं सेवा कर को विक्रय मूल्य का भाग घोषित नहीं किया गया है तथा इस आधार पर करापवंचन का वाद बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर में यह बताया गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत नगर वाराणसी (यू.पी.) के साथ दो एग्रीमेंट किये गये थे जिसमें पहला एग्रीमेंट इन्सूलेटर्स की बिक्री के सम्बन्ध में था तथा दूसरा एग्रीमेंट क्रेता कि ओर से भाड़े व बीमा राशि के सम्बन्ध में था।

4. जांच अधिकारी ने भाड़ा राशि व बीमा राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर, शास्ति व ब्याज आरोपित किया। विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वाद में करापवंचन का कोई मामला नहीं बनता है। अधिनियम की धारा 26 में पारित आदेश अविधिक है, दोनों निम्नतर अधिकारियों ने भाड़ा राशि व बीमा राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर त्रुटि की है। समस्त संव्यवहार अपीलार्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में दर्ज थे। शास्ति आरोपण अविधिक है तथा अपने कथन के समर्थन में मैसर्स **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य** का न्यायिक दृष्टांत **[2009] 23 VST 249 (SC),** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.टी. रिवीजन संख्या 226 से 229/2009 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम एल.एन.टी. कैस इक्यूपमेंट लिमिटेड, उदयपुर निर्णय दिनांक 29.03.2010** का हवाला दिया तथा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

(1) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के अपील संख्या 252 एवं 253/2009/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड, सी–स्कीम, जयपुर निर्णय दिनांक 16.12.2010, एवं

(2) राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अपील संख्या 777, 778 व 779/2014/उदयपुर व अपील संख्या 1315, 1316 व 1317/2014/उदयपुर निर्णय दिनांक 17.04.2015

उक्त कथन के साथ अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने व अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

लगातार.....3

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया व अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वैट अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर दिनांक 07.06.2012 को ऑडिट हेतु पहुचें। वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर ने पाया कि वर्ष 2009–10 में अपीलार्थी व्यवहारी ने माल भाड़ा व सेवा कर पर कर नहीं चुकाया है तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत करापवंचन का अभियोग मानते हुए उपायुक्त (प्रशासन) अजमेर को पत्रावली स्थानांतरण हेतु लिखा गया।

8. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 52 पर कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये लाभ हानि खाता की प्रति उपलब्ध है। लाभ हानि खाते में कुल बिक्री रूपये 2,43,48,088/– प्रदर्शित की गई है। इसमें से 2 प्रतिशत सी. एस.टी. बिक्री रूपये 2,11,25,842/– व सी.एस.टी. 4 प्रतिशत बिक्री रूपये 1,40,000/– घोषित की गई है। राज्य वैट 4 प्रतिशत की बिक्री रूपये 38,06,846/– घोषित की गई है तथा राज्य वैट 5 प्रतिशत बिक्री रूपये 1,08,940/– घोषित की गई है।

9. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल जावक भाड़े की राशि रूपये 23,11,866/– आंकलित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिनांक 05.04.2013 को जारी किया जाकर सुनवाई दिनांक 01.05.2013 नियत की गई है। जारी नोटिस निम्न प्रकार है –

प्रारूप मूपक–14

(नियम 20(1) और 49 देखिये)

U/S 26,55,61 of RVAT ACT, 2003

नोटिस

1. व्यवहारी का नाम :– M/S Ridhi Sidhi Insulators Private Limited
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या(टिन) :– 08190243724
3. कारोबार के मुख्य स्थान का पता :–

भवन सं./नाम G-81 & G-82, RIICO IND. AREA
क्षैत्र/सड़क BIKANER ROAD, NAGAUR
परिक्षैत्र/बाजार ऑडिट दिनांक 05.07.2012 के क्रम में
पिन कोड वर्ष 2009–10

लगातार.....4

ईमेल ओई.डी. .....
दूरभाष सं. .....
फैक्स सं. .....

"नोटिस पेशी दिनांक 05.04.2013 की पालना में आपकी फर्म के लेखाकार श्री इन्दर जैन ने कार्यालय में उपस्थित हो, फर्म के Escaped Turnover हेतु आलौच्य अवधि से संबंधित नियमित लेखापुस्तकें पेश की। जांच एवं सुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत विभिन्न क्रेताओं एवं आपकी फर्म के बीच हुए एग्रीमेंट एवं संबंधित दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पाया कि आपने वित्तिय वर्ष 2009–2010 में विभिन्न प्रकार के पिन इन्सूलेटर्स व संबंधित सामान की सप्लाई क्रेताओं के गोदाम/वर्क्स साईट पर एफ.ओ.आर. देना तय किया है तथा दोनों पक्षों के बीच माल की सप्लाई की एफ.ओ.आर. (Freight on Road) कीमत तय की गयी है। अतः माल की डिलीवरी से पूर्व आपने जो भी खर्चे जैसे :– Freight & Forwarding Charges, Service Tax on Fright & Insurance Charge आदि के रूप में विक्रय बिलों में दर्शाये है वे समस्त खर्चे रा. मू.प.क.अ. 2003 की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य का भाग है तथा आपने क्रेताओं से उक्त समस्त खर्चों सहित माल का भुगतान प्राप्त किया है जिसमें माल जावक भाड़े, भाड़े पर सर्विस टैक्स एवं बीमा खर्चे के रूपये में क्रमशः 23,11,866.00/–, 37,557.00/– एवं 27,029.00/– की राशि भी सम्मिलित है। इस प्रकार आपने कुल 23,76,452.00/– की बिक्री राशि पर नियमानुसार वैट नहीं चुकाया है तथा इस पर आपने कर का अपवंचन किया है। अतः कारण स्पष्ट करें कि क्यों नहीं उक्त Evaded & Escaped Turnover पर रा.मू.प.क.अ. 2003 की धारा 26 के तहत् कर (वैट), धारा 61 के तहत् कर की दुगनी शास्ति आरोपित करते हुए धारा 55 के तहत् गणनानुसार ब्याज कायम कर दिया जावे।

(ख) अतः.....अधिनियम के अधीन साक्ष्य देने के लिये आपकी वैयक्तिक हाजरी अपेक्षित है आपको 01.05.2013 को कमरा नं. **108** में **11:00 ए.एम. बजे** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वंय हाजिर होने और जब तक कि मेरे द्वारा अनुज्ञात न कर दिया जावे प्रस्थान नहीं करने के लिये इसके द्वारा सम्मन किया जाता है।

यह सूचना दी जाती है कि बिना पर्याप्त कारण के उपर अपेक्षित सूचना/दस्तावेज देने या हाजिर होने में विफल रहने पर आप राजस्थान मूपक अधिनियम, 2003 की धारा 64 के अधीन शास्ति के दायी होगें।

अप्रेल मास, 2003 के दिन 05 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से दिया गया।"

10. दिनांक 01.05.2013 को दिनांक 07.05.2013 के लिये सुनवाई स्थगित की गई व दिनांक 07.05.2013 को वैट अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत आदेश पारित कर दिया गया।

लगातार.....5

11. कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है कि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 में घोषित सम्पूर्ण माल जावक भाड़ा राशि पर वैट अधिनियम के तहत् कर शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया। माल जावक भाड़ा राशि सम्पूर्ण बिक्री के आधार पर आंकलित की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन जो बिक्री की गई है, उस बिक्री के सम्बन्ध में माल जावक भाड़ा राशि को नहीं घटाया गया है। सम्पूर्ण माल जावक भाड़ा राशि में वैट अधिनियम के अधीन की गई बिक्री एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन की गई बिक्री पर माल जावक भाड़ा राशि शामिल है अर्थात वैट अधिनियम के तहत की गई बिक्री पर माल जावक भाड़ा राशि को पृथक से विभाजित नहीं किया गया।

12. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 2(36) व 2(41) निम्न प्रकार है –

Sec. 2. Definitions.-

(36) **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

(41) **"turnover"** means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub–section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

लगातार.....6

13. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(एच) व 2(जे) निम्न प्रकार है –

Sec. 2. Definitions.-

(h) **"sale price"** means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;

PROVIDED that in the case of a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, the sale price of such goods shall be determined in the prescribed manner by making such deduction from the total consideration for the works contract as may be prescribed and such price shall be deemed to be the sale price for the purposes of this clause.;

(j) **"turnover"** used in relation to any dealer liable to tax under this Act means the aggregate of the sale prices received and receivable by him in respect of sales of any goods in the course of inter-State trade or commerce made during any prescribed period and determined in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder;

14. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 29 पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को पिन इन्सुलेटर्स की सप्लाई आदेश की शर्तों का विवरण है जिसका पैरा 2 निम्न प्रकार है–

2. PRICES, TAX AND DUTIES

(A) PRICES:

The unit F.O.R. destination price mentioned above at clause No. 1 "Schedule of Material and Price" is inclusive of Excise duty, Sales Tax, Entry Tax, Service Tax as applicable, packing, forwarding, loading, freight and insurance charges for delivery of 33 KV Pin Insulators at our stores any when the Jurisdiction of AVVNL in Rajasthan and by Road transport The prices are Variable as per EEMA Price variation formula for insulator (enclosed as Annexure-1) without any ceiling and with Base Date 01.03.2009

लगातार.....7

(B) EXCISE DUTY:

The unit F.O.R. destination price mentioned in Clause No.1 inclusive of Excise Duty and CESS there@NIL. However it ED becomes applicable. The same shall be borne by you. The material shall be dispatched duty exice cleared as per the procedure laid down by Central Excise Depp. for payment of due excise duty.

Material shall be dispatched duly excise cleared as per the procedure laid down by the excise department. Any statutory variation (increase/decrease) in the existing rate of central excise duty with Cess thereupon during stipulated delivery schedule will be to the Nigam's account and shall be paid/reimbursed at actual on furnishing of supporting documents in the form of Gazette Notification well in advance for approval before claiming such variations.

(C) CST/RST/VAT :

The F.O.R. destination price mentioned in clause No. 1 is inclusive of VAT at the rate of 4% concessional against declaration certificate as the goods are purchased for the exclusive use in distribution of electric power by the AVVNL as per Government of Rajasthan Notification. The prescribed certificate will be issued by the Sr. Accounts Officer (MM), Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited, Ajmer against each invoice on receipt of following documents.

15. शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त निम्नानुसार है –

(1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर बनाम बम्बिनों एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. (2016) 90 वी.एस.टी. 22 (राज.)

(2) Assistant Commissioner, Anti-Evasion, Rajasthan v. Agrwal Aluminium & Company [2013] 60 VST 141 (Raj) (paras 6, 13)

(3) Commercial Taxes Officer v. Shyam Agency [2015] 78 VST 75 (Raj) (paras 6, 12)

(4) Shree Krishna Electricals v. State of Tamil Nadu [2009] 23 VST 249 (SC) (paras 6, 11, 12)

16. प्रकरण के तथ्यात्मक विवेचन से भलीभांति स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वैट अधिनियम के अन्तर्गत माल जावक भाड़े व सेवा कर राशि को बिक्री का भाग मानते हुए करारोपण प्रस्तावित किया। उपरोक्त पैरा संख्या 8 में बिक्री के आंकड़ो में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन भी सारवान राशि

लगातार.....8

की बिक्री की गई है। अतिरिक्त करारोपण समस्त बिक्री पर एक ही आदेश से कर दिया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन की गई बिक्री पर उक्त नोटिस के आधार पर कोई करारोपण नहीं किया जा सकता है। केवल राज्य के भीतर वैट अधिनियम के अधीन की गई बिक्री पर किया गया अतिरिक्त करारोपण यथावत रखे जाने योग्य है।

17. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर यह निष्कर्षित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण वेट अधिनियम के तहत पारित किया गया है, जिसमें वेट अधिनियम के तहत की गई बिक्री के सम्बन्ध में ही करारोपण किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सी.एस.टी. के तहत की गयी बिक्री के सम्बन्ध में भी माल भाड़ा राशि, बीमा राशि एवं सर्विस टैक्स पर करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी सी.एस.टी. के तहत की गई बिक्री के सम्बन्ध में किये गये करारोपण की पुष्टि किये जाने में त्रुटि की गयी है। अतः वेट अधिनियम के तहत की गयी बिक्री के सम्बन्ध में माल भाड़ा राशि, बीमा राशि एवं सर्विस टैक्स पर आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि की जाती है तथा सी.एस.टी. के तहत की गयी बिक्री के सम्बन्ध में माल भाड़ा राशि, बीमा राशि व सर्विस टैक्स पर आरोपित कर व ब्याज अपास्त किये जाते हैं। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उसकी लेखा–पुस्तकों में इंद्राजित होने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसरण में अपास्त की जाती है।

18. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 27/06/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य